वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार पौड़ी गढ़वाल – 246123

प्रबन्ध परिषद् की ग्यारहवीं बैठक (आकस्मिक) का कार्यवृत्त
(Minutes of 11th Meeting of the Board of Management)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की ग्यारहवीं बैठक (आकस्मिक) दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को शोध एवं प्रसार केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष प्रो. ए. के. कर्नाटक द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1.	प्रो. ए.के. कर्नाटक कुलपति, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि, एस.एस. टोलिया, संयुक्त सचिव, वित्त)	–	सदस्य
3.	डॉ. शैलेन्द्र राजन निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ (आई.सी.ए.आर. प्रतिनिधि)	–	सदस्य
4.	डॉ. प्रभात कुमार, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक राष्ट्रीय समन्वयक, नाहेप, आई.सी.ए.आर. नई दिल्ली	–	सदस्य
5.	डा. एस.के. बिन्जोला, संयुक्त निदेशक प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
6.	डा. एम.सी. नौटियाल, कृषि विशेषज्ञ देहरादून	–	सदस्य
7.	डा. कमल सिंह, पशुधन प्रजनक पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य
8.	श्री लखेन्द्र गौंथियाल वित्त नियंत्रक, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	सदस्य
9.	प्रो. वी.पी. खण्डूडी अधिष्ठाता, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी	–	सदस्य
10.	डॉ. चन्द्रेश्वर तिवारी निदेशक प्रसार, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि, भरसार	–	सदस्य

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

11.	डॉ. अंमोल वशिष्ठ सह–निदेशक शोध, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि. भरसार	–	सदस्य
12.	प्रो. बी.पी. नौटियाल अधिष्ठाता / कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा मा. कुलपति महोदय / अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के आकस्मिक प्रस्ताव के साथ–साथ कुलपति की अनुमति उपरांत अतिरिक्त प्रस्तावों को प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/01: माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध परिषद् के मा. सदस्यों का स्वागत एवं प्रबन्ध परिषद् के मा० सदस्यों डॉ. प्रभात कुमार को भारत सरकार में औद्यानिकी आयुक्त नियुक्त होने तथा श्री प्रेम चन्द्र शर्मा जी को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अलंकृत करने पर विश्वविद्यालय की ओर से शॉल एवं मोमेन्टो भेंट कर सम्मानित करना।

मा. कुलपति द्वारा सदन को सूचित किया गया कि डॉ. प्रभात कुमार (सदस्य–प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक) को भारत सरकार में औद्यानिकी आयुक्त नियुक्त किया गया है। उपस्थित सदस्यों द्वारा डॉ. प्रभात कुमार की नियुक्ति प्रसन्नता व्यक्त की गई। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. प्रभात कुमार को शॉल ओढकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह डॉ. शैलेन्द्र राजन, निदेशक, सी.आई.एस.एच., लखनऊ (सदस्य–आई.सी.ए.आर. प्रतिनिधि) के सेवानिवृत्त होने पर मा. अध्यक्ष द्वारा परिषद् की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की एवं शॉल ओढकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (प्रगतिशील कृषक) जिनकों की भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया, बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये। अतः निर्णय लिया गया कि श्री शर्मा को आगामी बैठक / विश्वविद्यालय में उपस्थित / उनके आवास पर सम्मानित किया जायेगा।

प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/02: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनाकं 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार संशोधित विनियमों / नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन विश्वविद्यालय की विद्धत परिषद् की 15वीं बैठक में स्वीकृत किये जाने के उपरांत मा. प्रबन्ध परिषद् की स्वीकृति / अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 **(संलग्न)** के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जूलाई, 2018 को **संलग्न परिशिष्ट–'क'** के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू / अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार संशोधित विनियमों / नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में आवश्यकतानुसार विद्धत परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम–2018 के क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या–1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्य स्तर पर किये गये संशोधनों, को विश्वविद्यालय परिनियमावली में आवश्यक संशोधनों / अंगीकृत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तत्क्रम में मा. राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय

के पत्र संख्या 586/जी.एस.(शिक्षा)/सी 13–3/2014 दिनांक 23 जून, 2021 द्वारा भी उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। पुनः मा. राज्यपाल/कुलाधिप्रति सचिवालय उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2387/जी.एस.(शिक्षा)/सी 13–3/2014 दिनांक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा भी परिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर मा. राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय को सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की विद्धत परिषद् की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या **UUHF/AC/15/01** द्वारा परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित विश्वविद्यालय परिनियमावली के विभिन्न क्रमांक/बिन्दु संख्याओं में संशोधित एवं अंगीकृत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्तानुसार विश्वविद्यालय परियनियमावली –2014 एवं शैक्षणिक सेवा नियमावली–2016 के भाग 3 – भर्ती, भाग 4 – अर्हतायें, भाग 5 – भर्ती प्रक्रिया, भाग 6 – नियुक्ति, परीविक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता, भाग 7 – वेतन इत्यादि से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 05 से 18 (3) तक उल्लेखित नियमों को परिशिष्ट में उल्लेखित प्राविधानों की सीमा तक संशोधित/ अंगीकृत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बिन्दुवार चर्चा की गई एवं **परिशिष्ट 'क' (संलग्न)** में उल्लेखित प्रस्तावित संशोधनों एवं अंगीकृत किये गये बिन्दुओं/नियमों का विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की।

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव/सदस्य–सचिव
प्रबन्ध परिषद

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

परिशिष्ट–'क'

क्र0 स0	नियम	राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत/संशोधित नियम/विनियम यू0जी0सी0 अधिनियम, 2018	संशोधित नियम/विनियम	विश्वविद्यालय परिनियावली के क्रमांक बिन्दु संख्या में संशोधित एवं अंगीकृत किये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा स्वीकृत
1	नियम–5	उप–नियम–5.1 I से 5.1 IV विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन। (क) विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य/सह–आचार्य/आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे : i) कुलपति या उनका नामिती, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का आचार्य के रूप में अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे। ii) कुलाध्यक्ष/ कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होंगे। iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशित किया जाएगा। iv) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो । v) संबंधित विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/अध्यक्ष। vi) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवदेक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कलुपति द्वारा नामनिर्देशित जाएगा। (ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है, 1. कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3. वि0वि0 की विद्या परिषद्/ कार्यपरिषद् द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4. संकाय का संकायाध्यक्ष, 5. सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष, 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोइ भी सदस्य इन श्रेणियो से सम्बन्धित नही हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।	विश्वविद्यालय परिनियमावली के क्रमांक बिन्दु संख्या 8(क)(आठ) में **आंशिक संशोधन के साथ नियम–5 के उप–नियम–5.1 I से 5.1 IV को निम्नानुसार अंगीकृत किया जाता है–** 1. कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3. वि0वि0 की विद्या परिषद्/कार्यपरिषद् द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4. संकाय का संकायाध्यक्ष, 5. सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष, 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से सम्बन्धित नही हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।
2	नियम–10	**सी.ए.एस. के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना** सहायक आचार्य, सह–आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह–आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो, की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि–	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।	विश्वविद्यालय परिनियमावली के क्रमांक बिन्दु संख्या 9(ख)(एक) में **(अ) के रूप में यू0जी0सी0 अधिनियम, 2018 के नियम–10 को निम्नानुसार अंगीकृत किया जाता है–** **सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना** सहायक आचार्य, सह–आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतगर्त सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य

कुलपति
सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

		(क) धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो। (ख) पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह– आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो/था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो/रहा हो। (ग) संबंधित सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताए होनी चाहिए। (घ) ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केंद्र सरकार/ संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हो। (ङ) किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो। (च) पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की प्रत्यक्ष भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, बशर्ते कि– (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो; (ii) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो; (iii)पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों, और (छ) इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।	वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह–आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो, की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि– (क) धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो। (ख) पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह– आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो/था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो/रहा हो। (ग) संबंधित सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताए होनी चाहिए। (घ) ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/केंद्र सरकार/ संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हो। (ङ) किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो। (च) पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की प्रत्यक्ष भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, बशर्ते कि– (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो; (ii) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो; (iii)पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों, और (छ) इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।	

(Registrar)

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
...16123 (उत्तराखण्ड)

<u>प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/03</u>: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

<u>प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/03(01)</u>: डॉ. लक्ष्मी सहायक कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) की सेवाओं का स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद के सापेक्ष आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय की 10वीं बैठक द्वारा गठित समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने एवं तदोपरांत प्रस्ताव पर स्वीकृति/ आवश्यक दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. लक्ष्मी रावत, सहायक प्राध्यापक/ कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) का चयन विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप सुरक्षा) के.वी.के. टिहरी गढ़वाल में दिनांक 30.09.2013 को हुई एवं दिनांक 23.09.2014 को विश्वविद्यालय में AICRP परियोजना Small Millet के अन्तर्गत कनिष्ठ शोध अधिकारी (पादप सुरक्षा) के पद पर विश्वविद्यालय परनियमावली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के तय मानकों के अनुरुप साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया द्वारा एवं सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय प्रबंध परिषद की कार्यवृत्त संख्या 1/13 के क्रम में वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 6000/– पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 04/2013/DR/AICRP/Scientist दिनांक 03.08.2013 में आवश्यक एवं अधिमानी अर्हतायें यू.जी.सी. द्वारा सहायक प्राध्यापक हेतु निर्धारित अर्हताओं के समरूप ही प्रकाशित की गई थी।

विश्वविद्यालय में कनिष्ठ शोध अधिकारी/ सहायक प्राध्यापक के पद पर लगभग 05 वर्षों से अधिक सेवा के बाद डॉ. लक्ष्मी रावत द्वारा दिनांक 01.02.2020 को उनकी सेवाओं का विश्वविद्यालय में स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक (पादप सुरक्षा) के सापेक्ष वेतन आहरण/ आमेलन हेतु आवेदन किया गया **(सलग्नक–8 (i)**। डॉ. लक्ष्मी रावत द्वारा विश्वविद्यालय में शोध एवं प्रसार कार्यों में योगदान के अतिरिक्त उनके द्वारा विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों में दिये गये योगदान के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा उनकी सेवाओं के आमेलन का प्रस्ताव विश्वविद्यालय की मा. प्रबंध परिषद 9वीं बैठक में अवलोकनार्थ/ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। मा. परिषद् की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त प्रतिपूरक प्रस्ताव संख्या 2020:09:30(03) **(सलग्नक–8 (ii)** द्वारा डॉ. लक्ष्मी के शोध एवं शिक्षण कार्यों में किये जा रहे योगदान के मध्यनजर उनकी सेवाओं का विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सहायक प्राध्यापक पर आमेलन/ वेतन स्त्रोत का परिवर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की एवं निर्देश दिये कि प्रस्ताव को उत्तराखण्ड शासन के प्रशासनिक विभाग में अवलोकनार्थ/सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मा. प्रबन्ध परिषद् के निर्देश के अनुपालन में विश्वाविद्यालय द्वारा पत्रांक संख्या यू.यूएच.एफ./रजि./645 दिनांक 21.05.2020 **(सलग्नक–8 (iii)** के द्वारा प्रस्ताव शासन के अभिमत/ सहमति हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को समय–समय पर शासन के पत्रांक 385/XIII–2/2020–02(12)/2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 दिनांक 20 जुलाई, 2020, पत्रांक 2199/XIII–1/2020–02(12)/2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 दिनांक 15 अक्टुबर, 2020, पत्रांक 760/XIII–4/2020–02(12)/ 2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–4 दिनांक 18

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय

दिसम्बर, 2020, पत्रांक 174/XIII–4/ 2021–02(12)/2020 कृषि एवं विपणन अनुभाग–4 दिनांक 08 फरवरी, 2021 पत्र कृषि एवं विपणन अनुभाग–4 दिनांक 26 मार्च, 2021 इत्यादि द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित जानकारियां प्रस्तुत की गई।

प्रशासनिक विभाग द्वारा पत्रांक 1178/XIII–4/21/02(12)/2020 कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4 दिनांक 06 सितम्बर, 2021 **(सलग्नक–8 (iv)** के द्वारा डॉ0 लक्ष्मी रावत की सेवाओं का विश्वविद्यालय में स्वीकृत रिक्त सहायक प्राध्यापक के पर पर आमेलन किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कहा गया था। प्रस्ताव को मा. प्रबन्ध परिषद् की 10वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। 10वीं बैठक के प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/10/03(10) द्वारा समिति गठित की गई थी एवं समिति को निर्देश गये थे कि प्रकरण से सम्बन्धित नियमों का अवलोकन कर विस्तृत आख्या आगामी मा. प्रबन्ध परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करें।

मा. प्रबन्ध परिषद् के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.12.2021 को 10 बजे आहूत की गई। समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित मा. प्रबन्ध परिषद् की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त संख्या 2020:09:33 (03) का अवलोकन किया एवं इसके साथ विश्वविद्यालय में पूर्व में शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर हुये आमेलनों का भी अध्ययन किया। उक्त प्रकरणों पर पूर्व में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं अनुसार आमेलन किया गया है। तदोपरांत समिति द्वारा डॉ. लक्ष्मी रावत द्वारा विगत विश्वविद्यालय हित में किये गये योगदानों का भी अवलोकन किया। उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत समिति द्वारा शासन के 06 सितम्बर, 2021, मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा पूर्व दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में आमेलन हेतु सहमति इस आशय के साथ मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की कि भविष्य में इस तरह के आमेलन प्रस्तावों पर यह आख्या प्रभावी नहीं होगी एवं जो भी प्रस्ताव भविष्य में प्राप्त होंगे, उन्हें पृथक रूप से देखा जाय।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति, शासन के उल्लेखित पत्र तथा समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के आलेख में प्रकरण पर सहमति प्रदान की एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी को निर्देश दिये गये कि आमेलन हेतु विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत पद पर ही आमेलन हेतु कार्यवाही की जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में प्रस्तुत आमेलन प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर आमेलन नियमावली तैयार कर/ प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत, शासन से स्वीकृति उपरांत ही विचार किया जाय। आमेलन नियमावली तैयार करने हेतु निम्न समिति गठित की गई :–

1.	मुख्य कार्मिक अधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, समस्त महाविद्यालय	–	सदस्य
3.	निदेशक, समस्त संस्थान/केन्द्र	–	सदस्य
4.	वित्त नियंत्रक/ प्रतिनिधि	–	सदस्य

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव/सदस्य–सचिव

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति/ अध्यक्ष

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल-246123 (उत्तराखण्ड)

<u>प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/03(02):</u> विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों द्वारा पूर्व से कार्यरत योग्यताधारी अकुशल/अर्द्धकुशल कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की आवश्यकता के मध्यनजर कुशल श्रेणी/उच्च पद पर पदोन्नति वरीयता क्रम में किये जाने सम्बन्धी उपनल कर्मचारी संघ भरसार द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश/अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत।

उपनल कर्मचारी संघ भरसार द्वारा दिनांक 04.09.2021 को मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रत्योवदन प्रस्तुत किया गया जिसमें विश्वविद्यालय स्थापना 2011–12 से पूर्व कार्यरत ठेका आधारित कर्मियों को उपनल में आउटसोर्स किये जाने के समय शैक्षिक योग्यता के अनुसार आउटसोर्स श्रेणी में न रखे जाने के क्रम में भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा वरीयता क्रम में पदोन्नति हेतु प्रस्ताव सहित विश्वविद्यालय की आवश्यकता के मध्यनजर कुशल श्रेणी/उच्च पद पर पदोन्नति वरीयता क्रम में किये जाने एवं उपनल से केवल अकुशल श्रेणी कर्मचारी की ही मांग सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मा० प्रबन्ध परिषद् के दिशा–निर्देश/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि क्योंकि कार्मिक उपनल द्वारा आउटसोर्स हैं। अतः इस सन्दर्भ में परिषद् की बैठक में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव/सदस्य–सचिव

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति/ अध्यक्ष

कुलपति
वीर चन्द सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

<u>प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/03(03)</u>: क्वांटम विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखण्ड के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) **के सम्बन्ध में।**

पारस्परिक शोध एवं विकास कार्यों, पाठ्यक्रमों को विकसित करना, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय कार्मिकों के परस्पर आदान–प्रदान, पारस्परिक संकाय विकास कार्यक्रम, ग्रामीण कृषि/औद्यानिकी कार्य अनुभव तथा पारस्परिक रूप से प्रशिक्षण, वर्कशॉप, सेमिनार एवं किसान मेलों के आयोजन हेतु क्वांटम विश्वविद्यालय, रूड़की द्वारा विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (MOU) का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है (***संलग्न***)। क्योंकि प्रस्ताव विश्वविद्यालय की विद्धत परिषद् की 15वीं बैठक के पश्चात् विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। अतः क्वांटम विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित MOU मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष आवश्यक दिशा–निर्देश/ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

मा. परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा आदेश दिये गये कि प्रस्ताव सम्बन्धित विस्तृत समझौता ज्ञापन प्रस्ताव तैयार कर विद्धत परिषद् से स्वीकृत/सस्तुति उपरांत परिषद् को अवगत कराया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि समझौता ज्ञापन में यह सुनिश्चित किया जाय कि विश्वविद्यालय के हित सर्वोपरि हों एवं विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े।

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव/सदस्य–सचिव

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति/ अध्यक्ष

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

<u>प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/03(04):</u> डेल्टा बॉटेनिकल एण्ड रिसर्च प्रा. लि., द्वारा विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक एवं शोध समन्वय हेतु प्रस्ताव।

डेल्टा बॉटेनिकल एण्ड रिसर्च प्रा. लि., भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा भांग (हैम्प) पर उत्तराखण्ड के विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियों में प्ररूपी एवं जैव रसायन अध्ययन, भांग की खेती की पारंपरिक कृषि तकनीकियों और औद्योगिक भांग के कृषिकरण, उद्यममिता विकास इत्यादि पर अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय के साथ शोध एवं शैक्षणिक समन्वय हेतु प्रस्ताव संलग्नकानुसार मा. प्रबन्ध परिषद् के दिशा–निर्देशों हेतु प्रस्तुत।

मा. परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, क्योंकि प्रस्ताव हैम्प पर शोध एवं शैक्षणिक समन्वय हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व यह निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित पौधे पर शोध एवं विकास कार्य करने से पूर्व प्रस्तावक (डेल्टा बॉटेनिकल एण्ड रिसर्च प्रा. लि., भुवनेश्वर, उड़ीसा) से पौधे से सम्बन्धित सभी वैधानिक प्राविधानों एवं कार्य हेतु लाईसेंस स्वीकृति सम्बन्धी प्राविधानों पर स्पष्ट रूप से आख्या सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव / सदस्य–सचिव

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति / अध्यक्ष
कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल–246123 (उत्तराखण्ड)

प्रतिपूरक प्रस्ताव सं0 UUHF/BOM/11/03(05): उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उद्यान विभाग के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान विकास शाखा वर्ग–2, सहायक मशरूम विकास अधिकारी, पौध सुरक्षा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी (उद्यान विभाग), मशरूम पर्यवेक्षक एवं औद्यानिक विकास शाखा वर्ग–3 के विज्ञापित पदों हेतु शैक्षिक अर्हताओं में बी.एस.सी. औद्यानिकी को शामिल न किये जाने विषयक।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित विज्ञापन में उपरोक्त पदों सहित कृषि विभाग में शैक्षिक अर्हताओं में बी.एस.सी. औद्यानिकी को सम्मिलित नहीं किया गया है। जिस कारण विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण बी.एस.सी. औद्यानिकी के विद्यार्थी उक्त पदों हेतु आवेदन नहीं कर पाये हैं। विश्वविद्यालय में संचालित बी.एस.सी. औद्यानिकी आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली के 5th Dean Committee के मानकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित किया जाता है एवं विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अन्तर्गत एकमात्र औद्यानिकी विश्वविद्यालय है, जिसमें बी.एस.सी. औद्यानिकी पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आवेदन नहीं कर पाने के कारण विद्यार्थियों में निराशा का भाव है एवं उनके द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय से इस सन्दर्भ में राज्य सरकार से कृषि एवं औद्यानिकी विभाग के पदों हेतु बी.एस.सी. औद्यानिकी को शैक्षिक अर्हता के रूप में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञप्ति का अवलोकन किया गया एवं परिषद् द्वारा उद्यान विभाग के पदों पर उद्यान स्नातक विषयक को शैक्षणिक अर्हताओं में शामिल न करने पर रोष व्यक्त किया गया। क्योंकि प्रकरण पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सेवा–नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। अतः निर्णय लिया गया है कि इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(प्रो0 बी0पी0 नौटियाल)
कुलसचिव / सदस्य–सचिव

(प्रो0 ए0के0 कर्नाटक)
कुलपति / अध्यक्ष

कुलपति
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड
औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी [illegible]–246123 (उत्तराखण्ड)